



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 797]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 17, 2016/कार्तिक 26, 1938

No. 797]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 17, 2016/KARTIKA 26, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2016

सा.का.नि. 1074(अ).—केंद्रीय सरकार, लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 10ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लागत और संकर्म लेखापाल (निर्वाचन अधिकरण) नियम, 2006, के नियम 3 के अनुसरण में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 15 अक्तूबर, 2015 में प्रकाशित कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्याक सा.का.नि. 787(अ) तारीख 15 अक्तूबर, 2015 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थातः-

2. उक्त अधिसूचना में मद संख्या (i) में शब्दों "अतिरिक्त सचिव" के स्थान पर शब्द "विधि सचिव" रखे जाएंगे।

[फा. स. 2/4/ 2015-पीआई]

के.वी.आर.मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पणी:— मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 787(अ), तारीख 15 अक्तूबर, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 857(अ), तारीख 16 नवम्बर, 2015, सा.का.नि. 498(अ), तारीख 11 मई, 2016 और सा.का.नि. 922(अ), तारीख 28 सितम्बर, 2016 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।